

न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बर्डजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 24 / 19 / भीलवाड़ा (2019 / 00024)

विभागीय अपील द्वारा श्री ईशबुद्दीन डायर तत्कालीन ग्राम संवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत सणगारी पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाड़ा विरुद्ध आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा, दिनांक 29-12-2017 / 01-01-2018 के द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थित:- श्री ईशबुद्दीन डायर तत्कालीन ग्राम संवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत सणगारी पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक:- 24.10.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 की धारा 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा, दिनांक 29-12-2017 / 01-01-2018 के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 22.8.2018 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये:-

आरोप संख्या- 1

आप द्वारा दिनांक 1-3-2007 से 20-3-2008 तक एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना-XI के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सणगारी में गठित जलग्रहण समिति के सचिव की हैसियत से रतनजोत के पोधारोपण हेतु ग्राम खेडाहोतम में 23,921 पोधों हेतु राशि 4,27,033/- ग्राम चान्दमा में 11,715 पोधों हेतु राशि रूपये 370331/- एवं ग्राम सणगारी में 14321 पोधों हेतु राशि 4,74,933/- व्यय किये गये। उक्त कार्य की विस्तृत जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि उक्त रतनजोत वृक्षारोपण कार्य की जीवितता प्रतिशत शून्य है, जिस कारण इस कार्य पर व्यय की गई कुल राशि 12,72,297/- निष्फल हो गई, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर लगाये गये आरोप से असहमति व्यक्त की। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी को पर्याप्त व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस पेशी पर अपचारी कार्मिक उपस्थित हुए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कार्मिक को सुनने के पश्चात दिनांक 01-01-2018 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में विभागीय जांच में पारित आदेश आरोप पूर्णतया सिद्ध हुआ मानकर इसके तहत अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया। इनका कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-01-2018 विधिविरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा अपनी प्रस्तुत अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उस पर लगाये गये आरोप का जवाब देते हुए कथन किया गया है कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा प्रार्थी को दण्ड देते हुए गौर नहीं किया कि जलग्रहण विकास परियोजना में कार्य एक कमेटी द्वारा कराया जाता है जिसमें ग्राम के सरपंच, कनिष्ठ अभियन्ता जलग्रहण एवं ग्रामवासी सम्मिलित होते हैं। इस योजना में ग्राम सेवक का कार्य केवल सरपंच के साथ भुगतान के चैको पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना होता है न कि योजना की क्रियान्विति पर नजर रखना। इस स्कीम में कार्यो की क्रियान्विति का दायित्व संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता वाटरशेड कार्यक्रम का होता है एवं वे ही तकनीकी मापदण्डों को ध्यान में रखकर कार्यो की आवश्यकतानुसार एमबी आदि भरते हैं। कनिष्ठ अभियन्ता की देखरेख में ही लगाये हुए पोधों की सांर संभाल एवं सुरक्षा की जाती है इसमें अपीलार्थी का कोई लेना देना नहीं है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उन्होंने यह तर्क दिया कि सचिव राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 78 में प्रावधित कार्य जैसे सरपंच के नियंत्रण के अध्यक्षीन रहे हुए पंचायत के अभिलेख और रजिस्टर अपनी अभिरक्षा में रखना, पंचायत के निमित प्राप्त धनराशियों के लिए अपने हस्ताक्षर से रसीदे जारी

करना, व इस अधिनियम द्वारा समस्त विवरण और रिपोर्ट तैयार करना तथा समस्त ऐसे कार्य जो पंचायत द्वारा मंजूर किये जावे आदि कार्य ही करेगा। इन समस्त वर्णित कार्यों में सचिव की भूमिका सीमित है तथा उसे जलग्रहण क्षेत्र में केवल भुगतान के अलावा अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त प्रकरण में पोधों की सार-संभाल, सुरक्षा आदि का कार्य सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं जलग्रहण समिति को करना था न कि अपीलार्थी को।

अपचारी ग्राम सेवक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अनुशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी के इस कथन पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया कि जो पोधारोपण का कार्य किया गया था का शत प्रतिशत निरीक्षण अधिशाषी अभियन्ता भू-संरक्षण जिला परिषद भीलवाड़ा द्वारा किया गया था जो उनके द्वारा एम.बी. में दर्ज किया गया है एवं इसका भौतिक सत्यापन विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। प्रार्थी को दिया गया दण्डादेश उचित नहीं है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उन्होंने यह भी कथन किया कि पोधों को नियमित पानी दिया गया था जिसका इन्द्राज माप पुस्तिका में दर्ज है परन्तु अनुशासनिक अधिकारी ने इस तथ्य को दरकिनार कर दण्डादेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपचारी कर्मचारी का कथन है कि उक्त प्रोजेक्ट कार्य को देखने के लिए प्रमुख रूप से कनिष्ठ अभियन्ता, चार विषय विशेषज्ञ, सरपंच, वार्डपंच एवं ग्रामवासियों की समितियां थी एवं यही समितियां इनके रखरखाव के प्रति उत्तरदायी थी न कि अपीलार्थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वाटरशेड के चेरमैन ग्राम के सरपंच होते हैं एवं इस प्रोग्राम को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी उनकी है न की प्रार्थी की। प्रार्थी के उक्त कथन को नहीं मानकर अपीलाधीन दण्डादेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तत्समय वर्षा औसत से कम होने के कारण अकाल की स्थिति थी एवं पोधों में दीमक का प्रभाव बढ़ गया था जिससे पोधों की जीवितता पर असर पड़ा जैसा कि हरित राजस्थान योजना में लगाये गये पोधों के मामलों में भी हुआ था। वस्तुतः सभी पोधे जीवित थे परन्तु अनुशासनिक अधिकारी ने इस तथ्य को न मानकर दण्डादेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

अपचारी कार्मिक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि जलग्रहण कार्यो में पोधों की सुरक्षा के लिए योजना में न तो कोई फेसिंग करने का प्रावधान है और न ही इतना बजट होता है कि प्रत्येक पोधे पर वन विभाग की तरह ध्यान दिया जा सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ० नमोकार जैन, एस 105-106 महावीर नगर टोंक रोड जयपुर द्वारा इन्टीग्रेटेड वेस्ट लैण्ड, डवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा तैयार की गई "Mid Term Evaluation Report April 2008" में उल्लेख किया गया है कि अप्रैल 2008 तक पोधों की 60-80 प्रतिशत जीवितता दर थी एवं सूखे की स्थिति के कारण पानी की कमी से पोधे नष्ट हुए हैं। इसमें प्रार्थी का कोई दोष नहीं है अतः प्रार्थी को दिया गया दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 1-1-2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा से पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ-4 (643) निजभूस/जांच/2009/भू-संरक्षण राजस्थान जयपुर के द्वारा की गई जांच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 1-3-2007 से 20-3-2008 तक एकीकृत बंजर भूमि विकास परिजयोजना-XI के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सणगारी में गठित जलग्रहण समिति के सचिव की हैसियत से रतनजोत के पोधारोपण हेतु ग्राक खेडाहोतम में 23,921 पोधों हेतु राशि रूपये 4,27,033/- ग्राम चान्दमा में 11,715 पोधो हेतु राशि रूपये 37,0331/- एवं ग्राम सणगारी में 14,321 पोधो हेतु राशि रूपये 47,64,933/- व्यय किये गये। उक्त कार्य की विस्तृत जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में यह पोधे नहीं पाये जाने से इस कार्य पर व्यय की गई कुल राशि रूपये 12,72,297/- निष्फल हो गई जिसके लिए जलग्रहण कमेटी के अध्यक्ष सरपंच एवं सचिव श्री ईशबुद्दीन को उत्तरदायी माना गया था। उक्त आधार पर अपीलार्थी को ज्ञापन आरोप पत्र जारी किये गये थे जिसकी जांच किये जाने हेतु लेखाधिकारी जिला परिषद् भीलवाड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाने के पश्चात प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में जांच अधिकारी अनुसार अपीलार्थी पर आयत आरोप प्रमाणित माना गया है जिसके आधार पर ही दण्डादेश पारित किया गया है।

जिला परिषद् की रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि जलग्रहण विकास परियोजना में कार्य जलग्रहण कमेटी द्वारा करवाया जाता है। उक्त कमेटी का अध्यक्ष एवं सचिव सरपंच ग्राम पंचायत एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव ही होता है। उक्त आशय की पुष्टि अपीलार्थी द्वारा अपील के बिन्दु संख्या 6 में की है।

जलग्रहण विकास परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान सरपंच/सचिव द्वारा ही किया गया है। ग्राम पंचायत से किये जाने वाले भुगतान एवं कराये गये कार्यों का पूर्ण पर्यवेक्षण का दायित्व भी उनका ही बनता है। इसलिए अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि उक्त कार्य में उनका कोई लेना देना नहीं है।

जिला परिषद् की रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा सचिव के दायित्व बताये गये हैं जिनमें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 78 की उपधारा (2)(7) में वर्णित है कि ऐसे अन्य सभी कृत्य एवं कर्तव्यों का पालन करना जो समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जावे। जल ग्रहण विकास परियोजना का कार्य भी इसी प्रकार की श्रेणी का होने से उक्त कार्य के भुगतान के साथ ही सम्पूर्ण पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी भी सरपंच एवं सचिव की बनती है। अपीलार्थी द्वारा जलग्रहण विकास परियोजना अर्न्तगत पोधे लगाये गये थे किन्तु उचित देखरेख के अभाव में सभी पोधे नष्ट हो जाने से विभागीय जांच में उक्त पोधारोपण कार्य पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि को निष्फल माना गया है जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने निर्देश प्राप्त होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध दण्डादेश पारित किया है जो विधिसम्मत है।

जिला परिषद् की रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सणगारी, चान्दमा, खेडाहेतम में वृक्षारोपण का कार्य असफल रहने के कारण क्षेत्र में दीमक का अत्यधिक प्रभाव देखा गया किन्तु वृक्षारोपण के समय एवं इसके उपरान्त आवश्यकतानुसार Antitermite औषधियों का उपयोग नहीं किये जाने एवं वृक्षारोपण विलम्ब से किये जाने के कारण मानसून का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा रतनजोत पोधारोपण विलम्ब से करने तथा दीमक की रोकथाम हेतु औषधियों का उपयोग वृक्षारोपण के साथ नहीं करने से वृक्षारोपण कार्यक्रम विफल हुआ है। विभागीय जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त कार्य पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि को निष्फल माना गया है। अपीलार्थी पर विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा दण्डादेश दिनांक 1-1-2018 जारी किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थी द्वारा अपील में एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप

के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जलग्रहण विकास परियोजना में कार्य एक कमेटी द्वारा कराया जाता है जिसमें ग्राम के सरपंच, कनिष्ठ अभियन्ता जलग्रहण एवं ग्रामवासी सम्मिलित होते हैं। इस योजना में ग्राम सेवक का कार्य केवल सरपंच के साथ भुगतान के चैको पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना होता है न कि योजना की क्रियान्विति पर नजर रखना। इस स्कीम में कार्यों की क्रियान्विति का दायित्व संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता वाटरशेड कार्यक्रम का होता है एवं वे ही तकनीकी मापदण्डों को ध्यान में रखकर कार्यों की आवश्यकतानुसार एमबी आदि भरते हैं। कनिष्ठ अभियन्ता की देखरेख में ही लगाये हुए पोधों की सार संभाल एवं सुरक्षा की जाती है।

अनुशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी के इस कथन पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है कि जो पोधारोपण का कार्य किया गया था का शत प्रतिशत निरीक्षण अधिशाषी अभियन्ता भू-संरक्षण जिला परिषद भीलवाड़ा द्वारा किया गया था जो उनके द्वारा एम बी में भी दर्ज किया गया है एवं इसका भौतिक सत्यापन विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। प्रोजेक्ट कार्य को देखने के लिए प्रमुख रूप से कनिष्ठ अभियन्ता, चार विषय विशेषज्ञ, सरपंच, वार्डपंच एवं ग्रामवासियों की समितियां थीं एवं यही समितियां इनके रखरखाव के प्रति उत्तरदायी थीं न कि केवल मात्र अपीलार्थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वाटरशेड के चेरमैन ग्राम के सरपंच होते हैं एवं इस कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी उनकी है न कि ग्राम सेवक की। जलग्रहण विकास परियोजना में कार्य जलग्रहण कमेटी द्वारा करवाया जाता है। उक्त कमेटी का अध्यक्ष एवं सचिव सरपंच ग्राम पंचायत एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव होता है।

अपचारी ग्राम सेवक के जवाब व व्यक्तिगत सुनवाई एवं उपरोक्त विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर यह दृष्टिगोचर होता है कि प्रोजेक्ट कार्य को देखने के लिए प्रमुख रूप से कनिष्ठ अभियन्ता, चार विषय विशेषज्ञ, सरपंच, वार्ड पंच एवं ग्राम वासियों की समितियां थीं एवं यही समितियां इनके रखरखाव के प्रति सामुहिक रूप से उत्तरदायी थीं न कि अपचारी ग्राम सेवक। वाटरशेड का चेरमैन ग्राम पंचायत का सरपंच होता है और इस कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी उनकी भी है न कि केवल अपचारी ग्राम सेवक की। तकनीकी मापदण्डों को ध्यान में रखकर कार्यों की आवश्यकतानुसार एम.बी. आदि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भरी जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में पौधारोपण के कार्य का शतप्रतिशत निरीक्षण अधिशाषी अभियन्ता, भू-संरक्षण जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा

किया गया था जो उनके द्वारा एम.बी. में दर्ज किया गया है एवं इसका भौतिक सत्यापन विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

अपचारी ग्राम सेवक को छोड़कर इस प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाली समिति के शेष सदस्यों एवं प्रस्तुत प्रकरण में पौधारोपण के कार्य का शतप्रतिशत निरीक्षण करने वाले एवं निरीक्षण के आधार पर एम.बी. में दर्ज करने वाले अधिकारी जिसके द्वारा इसका भौतिक सत्यापन (विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा) किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उस अधिशाषी अभियन्ता, भू-संरक्षण जिला परिषद्, भीलवाड़ा के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही गई यह रिकार्ड पर कहीं उपलब्ध नहीं है एवं न ही अपचारी ग्राम सेवक को उनके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 16-5-2019 के आधार पर भी आज तक उपलब्ध करवायी गयी है। अपचारी ग्राम सेवक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा ने अपने पत्रांक जिपभी/स्था0/2018/15/118 दिनांक 27-5-2019 द्वारा अपचारी कर्मचारी को अवगत कराया गया है कि वर्ष 2007-2008 में ग्राम पंचायत सणगारी पंचायत समिति शाहपुरा में वाटरशेड परियोजना में लगाये गये रतनजोत पोधों के संबंध में तत्कालीन विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, सरपंच ग्राम पंचायत सणगारी को दिये गये आरोप पत्रों व इनके विरुद्ध अंतिम पारित निर्णयों की जो प्रमाणित फोटो प्रतियां चाही गई है वे संबंधित अधिकारियों एवं सरपंच की व्यक्तिक सूचना है। अतः मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा अपील संख्या 5878/2011 में दिनांक 22-10-2003 को पारित निर्णय के बिन्दु संख्या 05 एवं 06 के अनुसार नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच समस्त कार्य सीधे रूप से सार्वजनिक नहीं कहे जा सकते और उनकी सूचना दिया जाना अनिवार्य नहीं है। अतः चाही गई सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (जे) के तहत अदेयता की श्रेणी में है इसलिए सूचना देय नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि प्रस्तुत प्रकरण में अपचारी ग्राम सेवक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई वांछित सूचना सीधे-सीधे अपचारी कर्मचारी के प्रकरण को प्रभावित करती है एवं इस सूचना के अभाव में उसके इस विभागीय जांच के प्रकरण के निस्तारण पर प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत प्रकरण में समिति के शेष समस्त सदस्यों की भूमिका की जांच की जाकर उनके विरुद्ध बतौर अपचारी कार्यवाही की जानी थी। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपचारी कर्मचारी श्री इशबुद्दीन डायर तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत सणगारी के अलावा समिति के अन्य अपचारियों पर क्या कार्यवाही की गई यह रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही निष्पक्षता के अभाव में

दोषपूर्ण होने से अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपचारी ग्राम सेवक की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध पारित दण्डादेश क्रमांक जिपभी/स्था/विजा-16/2017/15830 दिनांक 29-12-2017/01-01-2018 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है और प्रकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रस्तुत प्रकरण में शेष सभी दोषी अपचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के आलोक में अपचारी ग्राम सेवक पर आयत आरोपों की नये सिरे से पुनः जांच कर, जांच के आधार पर अपचारी कर्मचारी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

